UPSN010001482021

IN THE COURT OF
Special Judge SC/ST Pev. of Atrocities Act Bhadohi
AT ,Bhadohi
(Presided Over by Dr. Avanish Kumar-II)

SESSIONS CASE/48/2021

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

बनाम

1. रामनाथ यादव, उम्र 70 वर्ष, पुत्र चिखुरी यादव,
2. राजकुमार यादव, उम्र 50 वर्ष, पुत्र विरजू यादव,
3. राजनाथ यादव, उम्र 55 वर्ष, पुत्र छटंकी यादव,
4. केशव यादव, उम्र 46 वर्ष, पुत्र छटंकी यादव,

निवासीगण ग्राम नटवा, थाना औराई, जनपद भदोही।

...................अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या 247/2020 धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)द,ध एस.सी./ एस.टी.एक्ट, थाना औराई, जनपद भदोही।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण **रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव, केशव यादव,** निवासीगण ग्राम नटवा, थाना औराई, जनपद भदोही के विरूद्व थाना–औराई, जनपद–भदोही द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–247 सन् 2020, धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3 (1) द,ध एस.सी./एस.टी.एक्ट, के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित कर विचारण किये जाने की याचना की गयी है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी शिवचंद चमार, पुत्र स्व० पुदईराम, निवासी ग्राम नटवां, थाना औराई, जनपद भदोही का निवासी है। दिनांक 07.10.2020 को समय करीब 7.00 बजे सुबह जमीनी विवाद को लेकर रामनाथ यादव, पुत्र चिखुरी यादव, राज कुमार यादव, पुत्र विरजू यादव, राजनाथ, पुत्र

छटंकी यादव तथा केशव यादव, पुत्र छटंकी यादव, ग्राम नटवां, थाना औराई, जिला भदोही एक राय बनाकर माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुये लाठी डण्डा, लात घूंसा से मारे पीटे। झगड़ा छुड़ाने मेरा लड़का नीरज चमार आया तो उसे मारने लगे और कहे कि चमार सियार की जाति, तुम क्या कर लोगे। गांव वालें बीच बचाव किये तथा विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये चले गये। रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना–औराई में दिनांक 07.10.2020 को समय 10.46 बजे धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3 (1) द,ध एस.सी./एस.टी.एक्ट के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 247/2020 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया व घटना की विवेचना की गई तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल का मौका–मुआयना किया गया, घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव, केशव यादव के विरूद्ध आरोप–पत्र अर्न्तगत धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3 (1) द,ध एस.सी./एस.टी.एक्ट, न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2021 को प्रसंज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2022 को अभियुक्तगण रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव, केशव यादव के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3 (1) द,ध एस.सी./एस. टी. एक्ट विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर विचारण की मांग की।

5. प्रस्तुत प्रकरण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का संपूर्ण विवरण प्रारुप में निम्नवत है–

अभियोजन साक्षी	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का विवरण**	**साबित प्रपत्र**
PW 1.	शिवचंद	वादी मुकदमा	तहरीर–**प्रदर्श क–1**

PW 2.	सितारा देवी	वादी की पत्नी	–
PW 3.	फूलचंद	स्वंतन्त्र साक्षी	–
PW 4.	लेखराज सिंह अंसारी	विवेचक	नक्शा नजरी–**प्रदर्श क–2** अरोप–पत्र–**प्रदर्श क–3**
PW 5.	हेड का० रामआसरे सिंह यादव	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट–**प्रदर्श क–4** कायमी जी०डी०– **प्रदर्श क–5**
PW 6.	डॉ० धर्मेन्द्र कुमार वर्मा	चोटहिल गवाह	चोटहिल नीरज का डाक्टरी मुआयना– **प्रदर्श क–6** चोटहिल शिवचंद का डाक्टरी मुआयना– **प्रदर्श क–7**
PW 7.	नीरज	चोटहिल	–

6. अभियुक्तगण का बयान अर्न्तगत धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांक 21.04.2026 को तथा पूरक बयान अर्न्तगत धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांक 18.07.2026 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने बयान अर्न्तगत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उनके विरूद्व मुकदमा गलत एवं रंजिशन चलना तथा गवाहो द्वारा रंजिशन गवाही दिया जाना कहा गया है। अभियुक्तगण ने यह भी कथन किया है कि मेरी जमीन को हड़पने के लिए व नाजायज दबाव डालने के लिए वादी ने झूठा केस बनाकर दाखिल किया है, वे निर्दोष है।

7. अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है– **क–** नकल उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1426–1431 ग्राम नटवां, तहसील औराई, जिला भदोही। **ख–** उद्धरण खसरा आराजी संख्या 283 ग्राम नटवां, तहसील औराई, जिला भदोही। **ग–** 9 किता रंगीन फोटो। **घ–** ग्राम नटवां के भू–चित्र की प्रमाणित प्रति।

साथ ही बचाव पक्ष द्वारा निम्नलिखित नजीरें प्रस्तुत की गयी है–

क–सुखदेव बनाम उ०प्र०राज्य, 2016(97) ए०सी०सी० 31 (इला०)

ख–छोटकउ व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, 2018 (102) ए०सी०सी० 508 (इला०)

ग–राजेन्द्र कुमार बनाम दयानन्द व अन्य, 2018 (103) ए०सी०सी० 654 (इला०)

8. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

9. अभियुक्तगण रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव, केशव यादव पर धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1) द,ध एस.सी./एस.टी. एक्ट का आरोप लगाया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा **323** स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध के दण्ड का प्रावधान करती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा **504** लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय़ अपमान के अपराध का दण्ड प्रावधानित करती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा **506** आपराधिक अभित्रास का दण्ड प्रावधानित करती है। **धारा–3(1) द,ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट यह जानते हुये कि वादी/पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के अपराध के दण्ड का प्रावधान करती है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि दिनांक 07.10.2020 को समय 7.00 बजे सुबह, जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्तगण रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव तथा केशव यादव ने वादी मुकदमा शिवचंद चमार व उसके लड़के नीरज को लाठी–डण्डा व लात घूसा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, उसे मां बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा यह जानते हुये कि वादी व उसका लड़का अनुसूचित जाति का सदस्य है, उन्हें जाति सूचक गालियां दी।

10. न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम घटना की तिथि व समय पर विचार किया जायेगा। इस संदर्भ में परिवादी **शिवचन्द पी.डब्लू. 01** ने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक 07.10.2020 को समय सुबह 7.00 बजे की है।...इसके बाद मैं व मेरा लड़का नीरज थाने पर गये वहां पर मैने दूसरे से दरख्वास्त लिखवाकर थाने पर दिया तब उसकी रिपोर्ट लिखी गयी तथा पुलिस द्वारा मुझे तथा मेरे बेटे को ब्लाक पर डाक्टरी मुआयना हेतु लेकर गये वहां पर हमारा डाक्टरी मुआयना हुआ। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5अ मूल तहरीर प्रार्थना–पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। वादी की पत्नी सितारा देवी **पी०डब्लू०–2** ने अपने बयान में कहा है कि इस समय मुझे घटना का दिनांक याद नही है। घटना लगभग चार वर्ष पूर्व की

है। कुवार का महीना था। सुबह सात बजे की घटना है। वादी के भाई **फूलचन्द पी०डब्लू०–3** ने अपने बयान में कहा है कि घटना तीन–चार वर्ष पहले की, समय सात बजे की है। एफ०आई०आर० लेखक **हेड का० रामआसरे सिंह यादव पी०डब्लू०–5** ने अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मुकदमा अपराध संख्या 247/2020 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)द,ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना औराई, जिला भदोही वादी मुकदमा शिवचन्द चमार पुत्र स्व० पुदईराम निवासी नटवा, थाना औराई, जिला भदोही द्वारा दिनांक 07.10.2020 को समय 10.46 मिनट पर एस०एच०ओ० रामजी यादव के आदेश पर उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र अपने बेटे नीरज के साथ मजरूवी अवस्था में उपस्थित हुआ। अभियुक्तगण रामनाथ यादव पुत्र चिखुरी यादव, राजकुमार यादव पुत्र विरजू यादव, राजनाथ यादव पुत्र छटंकी यादव, केशव यादव पुत्र छटंकी यादव समस्त निवासीगण ग्राम नटवां, थाना औराई, जिला भदोही के विरूद्व दाखिल प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 07.10.2020 को समय 10.46 बजे थाना स्थानीय के रोजनामचा आम रपट नम्बर 25 उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्व पंजीकृत किया गया। विवेचना लेखराज सिंह क्षेत्राधिकारी, औराई को सुपुर्द की गयी तथा मजरूब शिवचन्द व नीरज कुमार का डाक्टरी मुआयना नियमानुसार करायी गयी। समस्त कागजात विवेचना हेतु जरिए डाक क्षेत्राधिकारी कार्यालय,औराई भेजा गया। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया। पत्रावली में संलग्न मूल तहरीर प्रार्थनापत्र कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/2 जो कम्प्यूटरीकृत टाइपशुदा है, जो उसके द्वारा टाइप किया गया है, जिसपर थाना प्रभारी का हस्ताक्षर है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिसपर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा जी०डी० कायमी कागज संख्या 7क जो उसके द्वारा कम्प्यूटरीकृत टाइपशुदा है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया। चोटहिल **नीरज पी०डब्लू०–7** ने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक 07.10.2020 को समय 7.00 बजे दिन की है।

घटना की तिथि व समय के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण सितारा देवी व फूलचंद द्वारा घटना की तिथि नही

बतायी गयी है, अतः अभियोजन साक्षीगणों द्वारा घटना की सही तिथि साबित नही की गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव पक्ष के इस तर्क का विरोध किया गया। उभयपक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि तहरीर दिनांकित 07.10.2020 में वादी ने घटना की तिथि दिनांक 07.10.2020 समय सुबह 7.00 बजे बतायी है। वादी शिवचन्द तथा चोटहिल नीरज, इस घटना के चक्षुदर्शी साक्षी एवं पीड़ित रहे है। न्यायालय में दिये अपने बयान में उन्होने घटना की तिथि व समय सही सही बताया है। वादी का भाई फूलचंद घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है, बल्कि वह घटना के पश्चात शोर सनुकर मौके पर पहुंचा था। इसके अतिरिक्त वादी की पत्नी सितारा देवी यद्यपि घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है, परन्तु न्यायालय में उसका बयान दिनांक 30.07.2024 को, अर्थात घटना से लगभग चार वर्ष पश्चात अंकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि किसी साक्षी द्वारा अपने बयान में घटना की सही तिथि भूल जाना अवश्य सम्भव है, विशेषतः तब जबकि उसके बयान घटना के चार वर्ष पश्चात अंकित किये जा रहे हो। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीरों **रनवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1409, उगर अहिर बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1965 सुप्रीम कोर्ट 277, जगत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2009 सुप्रीम कोर्ट 958** में यह कहा गया है कि जब कई वर्षों बाद साक्ष्य अभिलिखित हो और साक्ष्यों में कोई ऐसा तात्विक विरोधाभास न हो जो साक्षी की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बना दे तो उस साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये शेष साक्षीगण द्वारा घटना की सही तिथि व समय बताया गया है। अतः वादी की पत्नी व उसके भाई द्वारा घटना की सही तिथि अपने बयान में न बता पाना, अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय नही बनाता है, विशेषतः तब जबकि शेष साक्षीगण द्वारा घटना की तिथि व समय सही साबित किया गया हो। इस प्रकार बचाव पक्ष का यह तर्क बलहीन पाया जाता है। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा घटना की तिथि दिनांक 07.10.2020 तथा समय सुबह 7.00 बजे होना साबित किया गया है।

11. अब न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के घटनास्थल पर विचार किया जायेगा। इस प्रकरण में घटना, परिवादी के घर के सामने स्थित उसके खेत पर होना कही गई है। इस संदर्भ में परिवादी **शिवचन्द पी.डब्लू. 01** ने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक 07.10.2020 को समय सुबह 7.00 बजे की है। जमीन के विवाद को लेकर रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव मेरे घर के सामने आकर मेरे जमीन को हड़पने की नीयत से उसे भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली देने लगे। वादी की पत्नी **सितारा देवी पी०डब्लू०–2** ने अपने बयान में कहा है कि सुबह सात बजे की घटना है, मैं अपने खेत में गोड़ाई कर रही थी, मैं उसी खेत में थी।...दरोगाजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और उसका बयान लिया था। चोटहिल **नीरज पी०डब्लू०–7** ने अपने बयान में कहा है कि मेरे पिता शिवचन्द खेत में गोड़ाई कर रहे थे। अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव यही चारो लोग आये थे मेरे पिता जी को चमार सियार साले की गाली दिये और लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। मै घटनास्थल पर पिताजी के पास गया तो अभियुक्तगण हमको भी मारे पीटे। विवेचक/रिटायर्ड सी०ओ० **लेखराज सिंह पी०डब्लू०–4** ने अपने बयान में कहा है कि वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं गवाहान की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया गया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 8 क नक्शा नजरी जो उसके हस्तलेख में है, जिसपर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मै पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी प्रदर्श क–2 में वादी के कच्चे मकान के उत्तर की ओर तथा विपक्षीगण के खपरैल मकान के पूरब की ओर वादी का खेत दिखाया गया है, जिसमें अक्षर एक्स से वह स्थान दिखाया गया है, जहां पर अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं उसके पुत्र के साथ मार पीट करना बताया गया है।–––के चिन्हों से वह स्थान दिखाया गया है जहां पर वादी व अभियुक्तगण के बीच मात्र दो फिट जमीन पर कब्जेदारी की बात का विवाद होना बताया गया है। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने बयान में वादी के खेत में प्रश्नगत घटना होना बताया गया है। घटनास्थल के बिन्दु पर

बचाव पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है। अतः घटनास्थल भली भांति साबित है।

12. अब न्यायालय द्वारा वादी शिवचन्द व उसके पुत्र नीरज को कारित चोटों पर विचार किया जायेगा। इस संदर्भ में न्यायालय में दिये गये बयान में वादी **शिवचन्द पी.डब्लू. 1** ने कहा है कि जमीन के विवाद को लेकर रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव मेरे घर के सामने आकर मेरे जमीन को हड़पने की नीयत से उसे भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली देने लगे, जब मैने गाली देने से मना किया, तो रामनाथ के ललकारने पर उपरोक्त लोग मारने पीटने लगे, जब मैने शोर किया, तो मेरे शोर पर मेरा लड़का नीरज आया, तो उसे भी लात मुक्का से मारे पीटे एवं शोर पर पत्नी व भाई बीच बचाव किये। इसके बाद मैं व मेरा लड़का नीरज थाने पर गये वहां पर मैने दूसरे से दरख्वास्त लिखवाकर थाने पर दिया, तब उसकी रिपोर्ट लिखी गयी तथा पुलिस द्वारा मुझे तथा मेरे बेटे को ब्लाक पर डाक्टरी मुआयना हेतु लेकर गये, वहां पर हमारा डाक्टरी मुआयना हुआ।

वादी की पत्नी **सितारा देवी पी.डब्लू. 2** ने अपने बयान में कहा है कि राजकुमार, राजनाथ व रामनाथ आये तथा कहे कि "तुम दो फिट छोड़ के दवाई करों" उसके पति ने कहा कि उसकी जमीन है, दो फिट जमीन किसलिए छोड़ दे। इतना कहने पर मुल्जिमानों ने मेरे पति को काफी मारे पीटे तथा मुझे व मेरे बेटे को भी मारे पीटे। राजकुमार, केशव, राजनाथ व रामनाथ के मारने से मेरे पति का सिर फूट गया था। मेरा लड़का बचाने पहुंचा तो उसे भी काफी मारे पीटे जिससे उसे काफी चोटे आयी। बाद में मेरे पति ने मुकदमा कायम कराया था। केशव, राजकुमार, राजनाथ व रामनाथ जाते समय जान माल की धमकी दिये थे। मेरे पति का डाक्टरी मुआयना भी हुआ था।

वादी के भाई फूलचन्द **पी.डब्लू. 3** ने अपने बयान में कहा है कि रामनाथ, राजनाथ, राजकुमार, केशव, वादी मुकदमा शिवचन्द से जमीनी विवाद को लेकर गाली गुप्ता, मारपीट हुआ, चमार सियार भी कहे थे।

चोटहिल **नीरज पी०डब्लू० 7** ने अपने बयान में कहा है कि मेरे पिता शिवचन्द खेत में गोड़ाई कर रहे थे। अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव यही चारो लोग आये थे मेरे पिता जी को चमार सियार साले की गाली दिये और लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। मै घटनास्थल पर पिताजी के पास गया तो अभियुक्तगण हमको भी मारे पीटे, फिर मैं व पिता जी थाने गया। थाने से फिर डाक्टरी गया, वहां हमे पुलिस औराई ब्लाक ले जाकर दवा इलाज करायी।

चिकित्सक **डॉ० धर्मेन्द्र कुमार वर्मा पी०डब्लू० 6** ने अपन बयान में कहा है कि चोटहिल नीरज गौतम, पुत्र शिवचन्द, उम्र 20 वर्ष, ग्राम नटवा, थाना औराई, जिला भदोही बार्ड वाई गिरधारीलाल एच.जी. दिनांक 07.10.2020 को समय 2.00 पी.एम. दोपहर में उसके समक्ष उपस्थित हुये। चोटहिल की पहचान बाये कंधे पर काले तिल का निशान है। चोटहिल को निम्न चोटे पायी गयी–

1. आब्रेजन 1 सेमी. x 5 सेमी., माथे के बीचों बीच है, जो लाल रंग का है और नाक से चार सेमी. ऊपर है।

2. पेसेन्ट शरीर में दर्द की शिकायत बता रहा है।

उसकी राय में चोट नम्बर–1 कठोर कुन्दालय वस्तु से आ सकती है, जो साधारण प्रकृति का है, जिसका ड्यूरेशन फ्रेश है। इंजरी नम्बर 2 में कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नही दिखी है। इंजरी नम्बर 1 को केयर अण्डर आब्जर्वेशन में रखा गया है तथा चोटहिल शिवचन्द, पुत्र स्व० पुदईराम, निवासी ग्राम नटवा, थाना औराई डब्लू०/ओ०एच०जी० गिरधारीलाल दिनांक 07.10.2020 को दोपहर 1.45 बजे उसके समक्ष उपस्थित हुये। चोटहिल की पहचान दाहिने साइड सीने पर काले तिल का निशान, जो दाहिने नेपल से 8 सेमी. दूरी पर है। चोटहिल को निम्न चोटे पायी गयी–

1. आब्रेजन 1 सेमी. x 5 सेमी., लेयर फ्रंन्टल आफ हेड, जो कि 5 सेमी. आइब्रो के ऊपर था, जो लाल रंग का था। चक्कर की शिकायत बता रहा था। सिर दर्द और चक्कर की शिकायत बता रहा था।

2. आब्रेजन .5 सेमी. x 5 सेमी., ओवर राईट फ्रंटल रीजन आफ हेड के 5 सेमी. राइट आइब्रो के ऊपर था, जो कि लाल रंग का था। पेसेन्ट सिर दर्द और चक्कर की शिकायत बता रहा था।

3. आब्रेजन .5 सेमी. x 5 सेमी., राइट फ्रंन्टल रीजन आफ हेड, जो कि 7 सेमी. राइट रटेल आइब्रो 7 सेमी. किनारे से ऊपर था, जो लाल रंग लिये हुये था। पेसेन्ट सिर दर्द और चक्कर की शिकायत बता रहा था।

4. आब्रेजन 1 सेमी. x .5 सेमी. आन राइट फ्रंन्टल आफ हेड, जो की 9 सेमी. राइट आइब्रो के किनारे से ऊपर तरफ था, जो लाल रंग का था। पेसेन्ट सिर दर्द और चक्कर की शिकायत बता रहा था।

5. कन्टूयजन 13 सेमी. x 2 सेमी. आन मिडिल पीठ के बीच में था, जो कि टी टूवैब व ट्रीबा के लेवल पर था, जो कि लाल रंग का था।

<u>ओपिनियन–</u>

मेरी राय में सभी चोटे हार्ड एण्ड ब्लण्ट आब्जेक्ट से आ सकती है। डयूरेशन एवाइट फ्रेश इंजरी नम्बर 5 इज सेंपल नेचर की है और इंजरी नम्बर 1, 2, 3, व 4 इज रेफर टू जिला अस्पताल ज्ञानपुर फार एक्सपर्ट ओपिनियन एण्ड एक्सरे हेड फरदर मैनेजमेंट के लिए भेजा गया। पत्रावली में संलग्न मेडिकल रिपोर्ट 9 क/1 जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया तथा मेडिकल रिपोर्ट कागज संख्या 9 क/2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

वादी व उसके पुत्र को कारित चोट के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं–**क.** वादी तथा उसके पुत्र की मेडिकल रिपोर्ट में वादी को पांच किता चोटे तथा उसके पुत्र नीरज को एक चोट तथा दर्द की शिकायत दर्शित की गयी है, जो साधारण प्रकृति की चोटे हैं, परन्तु वादी ने अपनी जिरह के पृष्ठ 4 पर यह कहा है कि उसकी चोटो से खून निकला था, जो खून कपड़े पर भी लगा था, इससे स्पष्ट है कि वादी अपने बयान में चोटो को बढ़ा चढाकर बता रहा है। **ख.** वादी तथा उसके पुत्र नीरज को लाठी डण्डे अथवा ईंट पत्थर में से किससे चोट लगी थी, यह स्पष्ट नही है। अतः वादी व उसके पुत्र को

कारित चोटें विश्वसनीय नही है। अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष के इस तर्क का विरोध किया। उभय पक्षों के तर्को के प्रकाश में पत्रावली का परिशीलन किया।

जहां तक बचाव पक्ष के इस **प्रथम तर्क** का प्रश्न है कि वादी तथा उसके पुत्र की मेडिकल रिपोर्ट में वादी को पांच किता चोटे तथा उसके पुत्र नीरज को एक चोट तथा दर्द की शिकायत दर्शित की गयी है, जो साधारण प्रकृति की चोटे हैं, परन्तु वादी ने अपनी जिरह के पृष्ठ 4 पर यह कहा है कि उसकी चोटो से खून निकला था, जो खून कपड़े पर भी लगा था, इससे स्पष्ट है कि वादी अपने बयान में चोटो को बढ़ा चढाकर बता रहा है, तो इस संदर्भ में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि चोटहिल नीरज की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–6 में उसे एक आब्रेजन 1 सेमी. x 5 सेमी., माथे के बीचों बीच मे लाल रंग का और नाक से चार सेमी. ऊपर दर्शाया गया है तथा उसके द्वारा दर्द की शिकायत बतायी गयी है। इसके अतिरिक्त वादी शिवचन्द को चार आब्रेजन तथा एक कन्ट्यूजन दर्शाया गया है। जहां तक वादी को कारित चोटो में से खून निकलने के तर्क का प्रश्न है, तो उल्लेखनीय है कि वादी शिवचन्द का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 07.10.2020 को दोपहर 1.45 पी०एम० पर किया गया है तथा चोटहिल नीरज का चिकित्सीय परीक्षण उसी दिन दोपहर 2.00 पी०एम० पर किया गया है। इस प्रकरण में घटना प्रातः 7.00 बजे होना कही गयी है, जबकि घटना के लगभग 7 घंटे पश्चात उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। वादी शिवचंद ने अपनी जिरह के पृष्ठ 4 पर तथा नीरज ने अपनी जिरह के पृष्ठ 7 पर मौके पर ईंट पत्थर चलने तथा उससे उन्हें चोट लगने तथा खून निकलने का तथ्य बताया है। इस प्रकार यदि प्रातः 7 बजे लगी चोट से खून निकला भी हो, तो भी वह घटना से 7 घंटे पश्चात चिकित्सीय परीक्षण किये जाने पर सूख जायेगा। यहां न्यायालय के समक्ष यह विधिक प्रश्न सामने आता है कि यदि तथ्य के साक्षी/चक्षुदर्शी साक्षी/चोटहिल साक्षी तथा चिकित्सक साक्षी के बयानों में विरोधाभास आये, तो किसके साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर **महमूद बनाम उ0प्र0 राज्य, ए.आई.आर. 2008 सु0को0 515** का उल्लेख आवश्यक है, जिसमें यह धारित किया गया है कि धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के

तहत चिकित्सीय साक्ष्य की मात्र सुझावात्मक साक्ष्यिक महत्ता है, यह अन्तिम निष्कर्ष नहीं है (Medical evidence is an evidence of opinion and it is not conclusive)। साथ ही तथ्य के साक्षी व चिकित्सीय साक्षी के बयानों में विरोधाभास की दशा में, तथ्य के साक्षी का साक्ष्य स्वीकार किया जायेगा, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी नजीर **राकेश बनाम उ0प्र0 राज्य, 2012 (76) ए.सी.सी. 264** में धारित किया है। इस प्रकार बचाव पक्ष का यह तर्क बलहीन पाया जाता है।

जहां तक बचाव पक्ष के इस **द्वितीय तर्क** का प्रश्न है कि वादी तथा उसके पुत्र नीरज को लाठी डण्डे अथवा ईंट पत्थर में से किससे चोट लगी थी, यह स्पष्ट नही है, अतः वादी व उसके पुत्र को कारित चोटें विश्वसनीय नही है, तो इस संदर्भ में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वादी शिवचंद ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 1 पर अभियुक्तगण द्वारा लात मुक्का से मारे जाने तथा अपनी जिरह के पृष्ठ 4 पर मौके पर ईंट पत्थर चलने का कथन किया है। चोटहिल नीरज ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 1 पर लाठी डण्डा से मारने पीटने तथा अपनी जिरह के पृष्ठ 7 पर मौके पर ईंट पत्थर चलने का कथन किया है। चिकित्सक साक्षी डॉ० धर्मेन्द्र कुमार वर्मा ने अपने बयान में वादी शिवचंद तथा नीरज को चोटे हार्ड एण्ड ब्लण्ट आब्जेक्ट से आना बताया है। जहां पक्षकारों के मध्य लाठी डण्डे व पत्थरों से मार पीट हुयी हो, वहां यह बताया जाना कि कौन सी चोट लाठी से आयी है और कौन सी चोट ईंट पत्थर से आयी है, अत्यन्त कठिन है। ऐसे में वादी तथा उसके पुत्र नीरज को लाठी डण्डे अथवा ईंट पत्थर में से किससे चोट लगी थी, यह बिन्दु पृथक करना सम्भव नही है। अतः बचाव का द्वितीय तर्क बलहीन पाया जाता है। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा मेडिकल रिपोर्ट को भली भांति साबित किया गया है।

13. अब न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार किया जायेगा कि क्या प्रश्नगत अपराध अभियुक्तगण रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव, केशव यादव द्वारा किया गया है? इस संबंध में वादी **शिवचंद पी.डब्लू. 1** ने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक 07.10.2020 को समय सुबह 7.00 बजे की है।

जमीन के विवाद को लेकर रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव मेरे घर के सामने आकर मेरे जमीन को हड़पने की नीयत से उसे भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली देने लगे, जब मैने गाली देने से मना किया, तो रामनाथ के ललकारने पर उपरोक्त लोग मारने पीटने लगे, जब मैने शोर किया, तो मेरे शोर पर मेरा लड़का नीरज आया, तो उसे भी लात मुक्का से मारे पीटे एवं शोर पर पत्नी व भाई बीच बचाव किये। इसके बाद मैं व मेरा लड़का नीरज थाने पर गये, वहां पर मैने दूसरे से दरख्वास्त लिखवाकर थाने पर दिया, तब उसकी रिपोर्ट लिखी गयी तथा पुलिस द्वारा मुझे तथा मेरे बेटे को ब्लाक पर डाक्टरी मुआयना हेतु लेकर गये, वहां पर हमारा डाक्टरी मुआयना हुआ। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5 अ मूल तहरीर प्रार्थना–पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया।

वादी की पत्नी **सितारा देवी पी०डब्लू०–2** ने अपने बयान में कहा है कि इस समय मुझे घटना का दिनांक याद नही है। घटना लगभग चार वर्ष पूर्व की है। कुवार का महीना था। सुबह सात बजे की घटना है, मैं अपने खेत में गोड़ाई कर रही थी, मैं उसी खेत में थी। राजकुमार, राजनाथ व रामनाथ आये तथा कहे कि "तुम दो फिट छोड़ के दवाई करों" उसके पति ने कहा कि उसकी जमीन है, दो फिट जमीन किसलिए छोड़ दे। इतना कहने पर मुल्जिमानों ने मेरे पति को काफी मारे पीटे तथा मुझे व मेरे बेटे को भी मारे पीटे। राजकुमार, केशव, राजनाथ व रामनाथ के मारने से मेरे पति का सिर फूट गया था। मेरा लड़का बचाने पहुंचा तो उसे भी काफी मारे पीटे जिससे उसे काफी चोटे आयी। बाद में मेरे पति ने मुकदमा कायम कराया था। केशव, राजकुमार, राजनाथ व रामनाथ जाते समय जान माल की धमकी दिये थे। मेरे पति का डाक्टरी मुआयना भी हुआ था। थाने पर दरख्वास्त मेरे पति देने गये थे, मैं नही गयी थी। दरोगाजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और उसका बयान लिया था।

वादी के भाई **फूलचन्द पी०डब्लू०–3** ने अपने बयान में कहा है कि घटना तीन–चार वर्ष पहले की, समय सात बजे की है। रामनाथ, राजनाथ, राजकुमार, केशव, वादी मुकदमा शिवचन्द से जमीनी विवाद को लेकर गाली गुप्ता,मारपीट

हुआ, चमार सियार भी कहे थे। शोर शराबा सुनकर आस पास के लोग आये और बीच बचाव किये। मैं मौके पर पहुंचा था ।

चोटहिल **नीरज पी०डब्लू०–7** ने अपने बयान में कहा है कि घटना दिनांक 07.10.2020 को समय 7.00 बजे दिन की है। मेरे पिता शिवचन्द खेत में गोड़ाई कर रहे थे। अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव यही चारो लोग आये थे मेरे पिता जी को चमार सियार साले की गाली दिये और लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। मै घटनास्थल पर पिताजी के पास गया तो अभियुक्तगण हमको भी मारे पीटे, फिर मैं व पिता जी थाने गया। थाने से फिर डाक्टरी गया, वहां हमे पुलिस औराई ब्लाक ले जाकर दवा इलाज करायी।

अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के बयानों के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं–**क.** अभियोजन साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है। **ख.** वादी व अभियुक्तगण के मध्य उनके मकानों के बीच के दो फिट चौड़े रास्ते का विवाद है, इसी रंजिश से झूठा मुकदमा लिखाया गया है। **ग.** साक्षीगण ने वादी तथा उसके लड़के को जाति सूचक गालियां दिया जाना कहा है, परन्तु कौन सी गालियां दी गयी है, यह नही बताया गया है। **घ.** वादी तथा उसके पुत्र ने मौके पर औरतो द्वारा ईंट पत्थर चलाया जाना कहा है, परन्तु उन औरतो को मुल्जिम नही बनाया गया है। अतः साक्षीगण, अभियुक्तगण की इस मामले में संलिप्तता को संदेह से परे साबित नहीं कर सके हैं। अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष के इन तर्कों का विरोध किया। उभयपक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का परिशीलन किया।

जहां तक बचाव पक्ष के इस **प्रथम तर्क** का प्रश्न है कि अभियोजन साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है तो इस संदर्भ में बचाव पक्ष द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट कराया है कि वादी की पत्नी सितारा देवी पी०डब्लू०–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 1 पर घटनास्थल पर तीन मुल्जिमानों राजकुमार, रामनाथ व राजनाथ के आने का कथन किया है, जबकि इस प्रकरण में चार मुल्जिम है। इसके अतिरिक्त चोटहिल नीरज पी०डब्लू०–7 ने अपनी जिरह के पृष्ठ 4 पर यह कहा है कि सितारा देवी घटना के दिन घर पर नही थी, जबकि सितारादेवी पी०डब्लू०–2

ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 1 पर कहा है कि वह खेत पर थी, अतः गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। बचाव पक्ष के इस तर्क के प्रकाश में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वादी की पत्नी सितारा देवी पी०डब्लू०–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 1 पर घटनास्थल पर तीन मुल्जिमानों राजकुमार, रामनाथ व राजनाथ के आने का कथन किया है, जबकि मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 2 पर उसने राजकुमार, केशव, राजनाथ व रामनाथ के द्वारा मारने से उसके पति का सिर फूट जाने का कथन किया है। इस प्रकार वादी की पत्नी सितारा देवी पी०डब्लू०–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण राजकुमार, केशव, राजनाथ व रामनाथ के मारने से उसके पति का सिर फूट जाने का कथन किया है। उल्लेखनीय है कि किसी भी साक्षी के अभिकथन को टुकड़ों में अथवा अंशतः नही पढ़ा जाता है, बल्कि उसके अभिकथन का तात्पर्य उसके सम्पूर्ण बयान के प्रकाश में देखा जाता है। अतः साक्षी सितारा देवी पी०डब्लू०–2 के बयान में कोई विरोधाभास नही है। जहां तक चोटहिल नीरज पी०डब्लू०–7 के बयान का प्रश्न है तो उसने अपनी जिरह के पृष्ठ 4 पर यह कहा है कि सितारा देवी घटना के दिन घर पर नही थी, जबकि सितारादेवी पी०डब्लू०–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 1 पर कहा है कि वह खेत पर थी, तो उक्त साक्षी के बयान में वास्तव में कोई विरोधाभास नही है क्योकि सितारा देवी का यह कहना कि वह घटना के समय खेत में थी तथा नीरज का यह कहना कि सितारा देवी घटना के समय घर पर नही थी, एक ही अर्थ रखता है क्योकि सितारादेवी घर पर नही बल्कि खेत पर थी। अतः गवाहों के बयानों में विरोधाभास का यह प्रथम तर्क बलहीन पाया जाता है।

जहां तक बचाव पक्ष के इस **द्वितीय तर्क** का प्रश्न है कि वादी व अभियुक्तगण के मध्य उनके मकानों के बीच के दो फिट चौड़े रास्ते का विवाद है, इसी रंजिश से झूठा मुकदमा लिखाया गया है तो इस संदर्भ में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि बचाव पक्ष द्वारा सफाई साक्ष्य में 9 किता रंगीन फोटो प्रस्तुत की गयी है, जिसमें दो मकानो के मध्य लगभग दो फिट के सकरे रास्ते को दिखाया गया है। इस तथ्य को वादी **शिवचंद पी०डब्लू०–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 1 पर ही बताया है कि जमीन के विवाद को लेकर रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव

मेरे घर के सामने आकर मेरे जमीन को हड़पने की नीयत से उसे भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली देने लगे। वादी ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट किया है कि मेरे मकान का मुहारा पूरब तरफ है। मेरे घर से रामनाथ का मकान पश्चिम तरफ पड़ता है। मेरे मकान व रामनाथ के मकान के बीच दो फिट की पुलिया है, जो मेरी है, उसी को लेकर विवाद है।...मेरे मकान के छत का पानी इसी दो फिट की जमीन में गिरता है। रामनाथ के मकान का पानी, पूरब तरफ इसी से दो फिट की पुलिया में गिरता है।...मैने अपनी भूमिधरी जमीन में अपना मकान बनाया है। मुल्जिम ने भी अपनी भूमिधरी जमीन में अपना मकान बनवाया है, लेकिन एक लाठा मेरी जमीन में से लेकर बनवा लिया था, बड़े पिता जी ने मानवता से एक लाठा जमीन दे दिया था।...झगड़ा मेरे व मुल्जिमान के बीच दो फिट गली के संबंध में है। इसके संबंध में पंचायत हुयी थी।...मुल्जिमान का मकान बने लगभग पचास साल हो गया है। मेरा मकान भी लगभग पचास साल हो गया है। कोई दीवानी मुकदमा इस जमीन को लेकर नही किया है। पिता जी ने मना किया है। वादी के इस कथन का समर्थन शेष साक्षीगण सितारा देवी व फूलचंद ने भी किया है। इस प्रकार पक्षकारों में, उनके मकान के मध्य दो फिट की पुलिया के संबंध में विवाद होने व उसके सम्बन्ध में पंचायत होने का तथ्य एक स्वीकृत तथ्य है। इस संदर्भ में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीर **सुखदेव बनाम उ०प्र०राज्य, 2016(97) ए०सी०सी० 31 (इला०)** में पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद बकाया मजदूरी व अन्य भुगतान से सम्बन्धित था, जो मुख्यतः सिविल प्रकृति का विवाद था, वहां पीड़ित के मात्र अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते अभियुक्तगण को एस.सी./एस.टी. एक्ट में फंसा दिया जाना माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उचित नही माना है। यद्यपि इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी नजीर **संतोष देवीदास बेहड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2009 (4) सुप्रीम 380** में कहा है कि साक्षी तथा अभियुक्त के मध्य की रंजिश, उनके साक्ष्य पर अविश्वास का कारण नहीं हो सकती, यदि साक्ष्यों के पूर्ण विश्लेषण के पश्चात वे साक्षी पूर्णतः विश्वसनीय पाये जाये। पक्षकारों के मध्य जमीन की रंजिश होने का तात्पर्य यह नही है कि मुल्जिमान द्वारा वादी व उसके लड़के से की गयी

मार पीट व गाली गलौज की घटना पूर्णतः झूठी है, विशेषतः तब जबकि अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य से उक्त घटना भली भांति साबित की गयी हो। अतः बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीर वर्तमान प्रकरण में लागू नही होती है। इस दशा में वादी द्वारा जमीन के विवाद में मुल्जिमान के विरूद्व झूठा मुकदमा लिखाये जाने का यह द्वितीय तर्क बलहीन पाया जाता है।

जहां तक बचाव पक्ष के इस **तृतीय तर्क** का प्रश्न है कि साक्षीगण ने वादी तथा उसके लड़के को जाति सूचक गालियां दिया जाना कहा है, परन्तु कौन सी गालियां दी गयी है, यह नही बताया गया है तो इस संदर्भ में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वादी **शिवचंद पी०डब्लू०–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ 1 पर मुल्जिमान द्वारा उसे व उसके लड़के को "जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये गाली देने लगे" का कथन किया है। वादी के भाई **फूलचंद पी०डब्लू०–3** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "रामनाथ, राजनाथ, राजकुमार, केशव, वादी मुकदमा शिवचन्द से जमीनी विवाद को लेकर गाली गुप्ता,मारपीट हुआ, चमार सियार भी कहे थे"। चोटहिल **नीरज पी०डब्लू०–7** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि "अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव यही चारो लोग आये थे मेरे पिता जी को चमार सियार साले की गाली दिये और लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे"। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण द्वारा न केवल वादी व उसके पुत्र को जाति सूचक गाली देने का कथन किया है, बल्कि साक्षीगण द्वारा उन जाति सूचक गालियों का भी उल्लेख किया है। इस संदर्भ में बचाव पक्ष द्वारा **छोटकउ व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, 2018 (102) ए०सी०सी० 508 (इला०)** तथा **राजेन्द्र कुमार बनाम दयानन्द व अन्य, 2018 (103) ए०सी०सी० 654 (इला०)** की नजीरे प्रस्तुत की गयी है। **छोटकउ व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, 2018 (102) ए०सी०सी० 508 (इला०)** में अभियुक्तगण व वादी पक्ष के मध्य पूर्व रंजिश थी, साक्षीगण वादी के करीबी रिश्तेदार थे, पीड़ित को अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त नही किया गया था, बल्कि घटनास्थल पर पीड़ित के परिवारजन के अतिरिक्त कोई व्यक्ति नही था, ऐसे में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह

धारित किया कि उस मामले में धारा 3(1)(10)एस.सी./एस.टी. एक्ट के अवयव लागू नही होते है। **राजेन्द्र कुमार बनाम दयानन्द व अन्य, 2018 (103) ए०सी०सी० 654 (इला०)** के मामले में जहां घटना में कई व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया हो और घटना के दौरान मात्र एक बार "चमार" शब्द बोला गया हो, साथ ही सूचनादाता इस बिन्दु पर स्पष्ट न हो कि उक्त जाति सूचक शब्द किसने बोला था, जाति सूचक शब्द अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर नही बोला गया था, वहां माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि उस मामले में एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत अपराध सृजित नही होता है। किसी स्थान का खुला हुआ स्थान होना मात्र यह नही साबित करता है कि वह स्थान लोक दृष्टि में आना वाला स्थान था। उक्त नजीरे वर्तमान प्रकरण में लागू नही होती है क्योकि वादी की पत्नी **सितारा देवी पी०डब्लू०–2** ने अपनी जिरह के पृष्ठ 5 पर यह बताया है कि घटनास्थल पर 10, 20, 50 आदमी इकट्ठा हो गये थे। वादी के भाई **फूलचंद पी०डब्लू०–3** ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि शोर शराबा सुनकर आस पास के लोग आये और बीच बचाव किये। चोटहिल **नीरज पी०डब्लू०–7** ने अपने जिरह के पृष्ठ 6 पर यह कहा है कि मार पीट के समय गांव के कुल 8, 10 लोग इकट्ठा हो गये थे, लवकुश, पप्पू, विनोद, सरोज आदि लोग आ गये थे। साक्षीगण के इन बयानों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत घटना होते समय गांव के कई लोग मौजूद थे तथा घटनास्थल पर पीड़ित के परिवारजन के अतिरिक्त अन्य लोग भी मौजूद थे, अर्थात घटना लोक दृष्टि वालें स्थान में घटित हुयी है। अतः बचाव पक्ष की उपरोक्त नजीरें वर्तमान प्रकरण में लागू नही होती है और बचाव पक्ष का यह तृतीय तर्क बलहीन पाया जाता है।

जहां तक बचाव पक्ष के इस **चतुर्थ तर्क** का प्रश्न है कि वादी तथा उसके पुत्र ने मौके पर औरतो द्वारा ईंट पत्थर चलाया जाना कहा है, परन्तु उन औरतो को मुल्जिम नही बनाया गया है, तो इस संदर्भ में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वादी **शिवचंद पी०डब्लू०–1** ने अपनी जिरह के पृष्ठ 4 पर यह कहा है कि मौके पर ईंट पत्थर चला था, ईंट पत्थर से सर फटा था। चोटहिल **नीरज**

पी०डब्लू०–7 ने अपनी जिरह के पृष्ठ 7 पर यह कहा है कि जहां मेरे पिता जी गिरे थे, वहां पर दोनों पक्ष की औरतें आ गयी थी। मेरे घर की दो तीन औरतें व मुल्जिम की तरफ की दस औरतें घटनास्थल पर आ गयी थी। जब दोनों घर की औरतें आ गयी, तो दोनों तरफ से अट्टाबाजी ईंट पत्थर चलने लगा। दस मिनट तक ईंट पत्थर चला।...औरतों ने जो ईंट पत्थर चलाया, तो उसका नाम दरख्वास्त में नही लिखाया था, जो ईंट पत्थर औरतें चला रही थी, उनका नाम नही जानता था, इसलिए उनका नाम नही लिखाया। ईंट पत्थर खेत में भी था, दरवाजे पर भी था। जब सी०ओ० साहब आये थे, तो मौके पर ईंट पत्थर नही था। खेत में था, ईंट पत्थर, उसको जोत दिया गया था, इसलिए ईंट पत्थर सी०ओ० साहब को नही दिखाया था। इस प्रकार वादी व उसके लड़के नीरज द्वारा तहरीर में उन महिलाओं का नाम, जिनके द्वारा मौके पर ईंट पत्थर चलाये गये थे, नही लिखाया गया, जिसे उन साक्षीगण ने अपने बयान में स्पष्ट भी किया है। अतः बचाव पक्ष का यह चतुर्थ तर्क बलहीन पाया जाता है।

14. अब न्यायालय द्वारा वादी की जाति के संदर्भ में विश्लेषण किया जायेगा। विवेचक ने वादी के जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 11ख/20 केस डायरी के साथ प्रस्तुत की है। वादी का अनुसूचित जाति का होना स्वीकृत तथ्य है, जिस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है। साथ ही वादी तथा अभियुक्तगण लम्बे समय से पड़ोसी रहे है, अतः अभियुक्तगण को, वादी के अनुसूचित जाति का सदस्य होने के तथ्य का ज्ञान होना ही सुस्थापित है। अतः वादी का अनुसूचित जाति का सदस्य होना साबित पाया जाता है।

15. अब न्यायालय द्वारा यह विचार किया जायेगा कि अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव के विरूद्ध अभियोजन पक्ष किन धाराओं के अपराध को साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव के विरूद्ध धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)द,ध एस.सी./एस.टी. एक्ट का आरोप लगाया गया है। अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव द्वारा वादी व उसके लड़के को लोक दृष्टि में आने वालें स्थान पर लाठी डण्डे ईंट पत्थर से मारने पीटने,

जातिसूचक गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. का अपराध संदेह से परे साबित किया गया है। चूंकि वादी को अभियुक्तगण द्वारा, वादी का अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुये, सार्वजनिक स्थल पर उसे मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी तथा जातिसूचक गालियां देने का अपराध किया गया है, अतः अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव के विरुद्ध धारा 3(1)द,ध एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध भी संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव इस प्रकरण में धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)द,ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव को धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)द,ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव जेरे जमानत आज न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव को अभिरक्षा में लिया जाता है। उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते है व प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है। दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक– 11.08.2026

(डॉ० अवनीश कुमार–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित :– डॉ० अवनीश कुमार–II (एच.जे.एस.)

सत्र परीक्षण संख्या–48/2021

UPSN010001482021

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

बनाम

1. रामनाथ यादव, उम्र 70 वर्ष, पुत्र चिखुरी यादव,
2. राजकुमार यादव, उम्र 50 वर्ष, पुत्र विरजू यादव,
3. राजनाथ यादव, उम्र 55 वर्ष, पुत्र छटंकी यादव,
4. केशव यादव, उम्र 46 वर्ष, पुत्र छटंकी यादव,

निवासीगण ग्राम नटवा, थाना औराई, जनपद भदोही।

....................अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या 247/2020 धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)द, ध एस.सी./एस.टी.एक्ट, थाना औराई, जनपद भदोही।

दंडादेश अंतर्गत धारा 235(2) दं.प्र.सं.

अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव को सत्र परीक्षण संख्या–48 सन् 2021 में अपराध अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट में न्यायालय के निर्णय से दोषसिद्ध किया गया है।

आज विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व विद्वान अधिवक्तागण बचाव पक्ष को अभियुक्तगण को दिये जाने वाले दण्डादेश के बिन्दु पर सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा दण्ड के बिन्दु पर अपनी बहस में यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी तथा उसके लडके को, उसके अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुये मारापीटा गया है, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है तथा उसे सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दो से अपमानित किया गया है। अतः अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दण्ड के बिन्दु पर यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त रामनाथ विकलांग है। अभियुक्तगण अत्यंत गरीब है। वे भविष्य में पुनः कोई अन्य अपराध कारित नहीं करेंगे। अतः दण्ड के बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन व बचाव पक्ष को दण्ड के बिन्दु पर सुनने के उपरांत इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव द्वारा वादी तथा उसके लड़के को, उसके अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुये मारापीटा गया है, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है तथा उसे सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दो से अपमानित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाता है।

आदेश

अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव प्रत्येक को **धारा 323 भा.दं.सं.** के अंतर्गत छः माह का कारावास व 1000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव को **धारा 504 भा.दं.सं.** के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास व 2000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव को **धारा 506 भा.दं.सं.** के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास व 3000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव को **धारा 3(1)द एस.सी./एस.टी. एक्ट** के अंतर्गत दो वर्ष छः माह के कारावास तथा मुव. 3000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने

पर प्रत्येक अभियुक्तगण को पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव को **धारा 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट** के अंतर्गत दो वर्ष छः माह के कारावास तथा मुव. 3000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अर्थदण्ड के व्यतिक्रम को छोड़कर अभियुक्तगण रामनाथ, राजकुमार, राजनाथ व केशव की उपरोक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि, उपरोक्त दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अर्थदण्ड की आधी धनराशि वादी मुकदमा/पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी।

अभियुक्तगण का सजायाबी वारण्ट अविलम्ब जिला कारागार में प्रेषित किया जाये।

अभियुक्तगण को निर्णय की एक एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक– 11.08.2026

(डॉ० अवनीश कुमार–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।
आई०डी०–यू०पी० 1523

उक्त दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 11.08.2026

(डॉ० अवनीश कुमार–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।
आई०डी०–यू०पी० 1523

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.08.11 16:26:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court